



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी भूरा को हुई 02 वर्ष 06 माह के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त भूरा पुत्र ब्रजपाल निवासी कस्बा व थाना रोहटा जनपद मेरठ के विरुद्ध थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 117/2015 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 06.11.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद स्पेशल गैंगस्टर अधिनियम बागपत द्वारा अभियुक्त भूरा को दोषी पाते हुए 02 वर्ष 06 माह के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा


दिनांक 06.11.2024

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 फर्जी नम्बर प्लेट व 01 गाडी विटारा ब्रेजा बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 फर्जी नम्बर प्लेट व 01 गाडी विटारा ब्रेजा नं0 UP-15CZ-1204 बरामद हुई है ।

इस सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 379/24 धारा 318(4) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1.जावेद पुत्र इरफान अली निवासी कसबा हर्षा थाना सरूरपुर जनपद मेरठ ।

2.गुलजार पुत्र लियाकत निवासी कस्बा हर्षा थाना सररपुर जनपद मेरठ ।

बरामदगी का विवरण

- 01 अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 01फर्जी नम्बर प्लेट UP-15Z-1204
- 01 गाडी विटारा ब्रेजा नं0 UP-15CZ1204

गिरफ्तार अभियुक्त जावेद का आपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0 320/16 धारा 379/411 भादवि थाना सरधना जनपद मेरठ ।

2-मु0अ0सं0 320/17 धारा 342/392/411 भादवि थाना सरधना जनपद मेरठ ।

3-मु0अ0सं0 80/22 धारा 323/336/504/506 भादवि थाना सररपुर जनपद मेरठ।

4-मु0अ0सं0 128/21 धारा 323/325/504 भादवि थाना सररपुर जनपद मेरठ।

5-मु0अ0सं0 379/24 धारा 318(4) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

3-है0का0 353 नरेश कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

4-है0का0 510 प्रदीप कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 06.11.2024

थाना खेकडा पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. नसीम उर्फ घडा पुत्र बाबू निवासी मौ० खासपुर रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।
2. वाहिद पुत्र शाबिर निवासी ग्राम रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।
3. वीरेन्द्र उर्फ बिल्लू पुत्र राजपाल उर्फ जयपाल निवासी ग्राम सुन्हैडा थाना खेकडा जनपद बागपत ।
4. सुमित पुत्र पप्पू निवासी करबा खेकडा थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ०नि० श्री सत्यवीर परमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री दीपक कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-उ०नि० श्री नरेशपाल सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4-उ०नि० श्री विकाश कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 5-है०का० 497 राधेश्याम थाना खेकडा जनपद बागपत ।

- 6-का0 349 जितेन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
7-का0 911 श्यामवीर सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
8-का0 1021 जितेन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना छपरौली

दिनांक 06.11.24

थाना छपरौली पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस



द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-दिनेश पुत्र दिलावर निवासी ग्राम सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-जयकुमार पुत्र गोकल निवासी ग्राम सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-देवी पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम बोड़ा थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 4-सुनील पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम बोड़ा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।

- 2- उ0नि0 श्री नवनीत कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3- उ0नि0 श्री रविन्द्र सैनी थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 4-का0 378 मोहित थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 5-Hg 547 विजय थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना दोघट

दिनांक-06.11.2024

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान पशु क्रूरता अधिनियम में 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से पशु तस्करी में प्रयुक्त 01 गाड़ी आयशर कैंटर व 02 गाड़ी महिन्द्रा पिकअप जिनमें क्रूरता पूर्वक भरे हुए 37 पशु बरामदा

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान पशु क्रूरता अधिनियम में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 01 गाड़ी आयशर कैंटर व 02 गाड़ी महिन्द्रा पिकअप जिनमें क्रूरता पूर्वक भरे हुए 37 पशु बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. अलीम पुत्र मौहम्मदीन निवासी मौहल्ला गोशियान करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
2. मौहम्मद साकिब पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला इस्लामाबाद थाना सरधना जनपद मेरठ ।
3. जुल्फकार पुत्र हफीजुद्दीन निवासी रुआसा थाना दौराला जनपद मेरठ ।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 गाड़ी आयशर कैन्टर नं0 HR-38AE-2848 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 23 पशु।
- 01 महिन्द्रा पिकअप नं0 UP-15ST-5082 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 08 पशु।
- 01 महिन्द्रा पिकअप UP-15ET-6381 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 06 पशु ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-व0उ0नि0 कृपेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री राकेश कुमार शर्मा थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 96 संजय पूनिया थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4-का0 73 रविन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 5-का0 287 अनिल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनाँक -06.11.2024

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टे की खाईवाड़ी करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 5700 रुपये नकद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सार्वजनिक स्थान पर



जुआ/सट्टे की खाईवाड़ी करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 5700 रुपये नगद बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-विपिन पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम बिराल थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-अनिल पुत्र जगवीर निवासी ग्राम बिराल थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-विकास पुत्र रामधन निवासी ग्राम बिराल थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 52 ताश के पत्ते
- 5700 रुपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री सुखराम सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2- का० 676 अखिल धारीवाल थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-हो०गा० 525 अनुज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4- हो०गा० 572 प्रवेन्द्र सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत दिनांक 06.11. 2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 929/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई कॉल्ड ड्रिंक की 03 बोतल व 500 रुपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 5/11/24 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी अक्षय कुमार पुत्र सतीश कुमार निवासी ग्राम अहेडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने एक लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान का ताला तोडकर रात्रि में दुकान के गल्ले में रखे 1200 रुपये व



कोल्डड्रिंक के फ्रिज का ताला तोडकर फ्रिज में रखी 4-5 कोल्डड्रिंक की बोतल चोरी कर ली है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 929/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 929/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए एक

अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी की हुई कोल्ड ड्रिंक की 03 बोतल व 500 रुपये नगद बरामद हुए हैं।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विक्की पुत्र स्व० विनोद कुमार निवासी जैन मौहल्ला कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी-

- कोल्ड ड्रिंक की 03 बोतल ।
- 500 रुपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री महेशचन्द शर्मा कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-का० 60 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-का० 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 06.11.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 648/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ एक मोबाइल फोन व 30,000 रुपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.08.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी अताउर्रहमान पुत्र अनीसुर्रहमान निवासी मौ० मुगलपुरा पाण्डव रोड कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा



वादी के घर के ताले तोडकर सोने व चांदी के जेवर तथा 02 लाख रूपये चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं 648/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान अभियुक्तों 1.बकार पुत्र इश्तकार, 2. सादिक पुत्र साबिर निवासी मौ0 मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत व 3.आमिर उर्फ लड्डू पुत्र मेहरबान निवासी कस्बा बागपत हाल पता ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आये है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 648/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 मोबाइल फोन व 30,000 रूपये नगद बरामद हुए है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-बकार पुत्र इश्तकार निवासी मौ0 मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2.सादिक पुत्र साबिर निवासी मौ0 मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 मोबाइल मोटोरोला।
- 30,000 रूपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास चौहन थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4-का0 369 विशाल पंवार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

5-का0 60 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

6-का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक 06.11.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 927/24 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 RRV एयरटेल कम्पनी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 04.11.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी प्रवेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र निवासी 24 परिवहन पुरम रूडकी रोड मोदीपुरम मेरठ ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा ग्राम हमीदाबाद गांव में लगे मोबाइल टावर का एक RRV कार्ड 30 मी0 ऊंचाई से चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं 927/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 927/24 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 RRV एयरटेल कम्पनी बरामद हुआ है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुमित पुत्र छोटे भैरव्या निवासी ग्राम कोढा थाना कोतवाली देहात जनपद हरदोई ।

बरामदगी का विवरण-

- एक RRV एयरटेल कम्पनी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-उ0नि0 श्री कैलाशचन्द थाना बागपत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 नकुल राठी थाना बागपत जनपद बागपत।
- 3-है0का0 491 रामकुमार थाना बागपत जनपद बागपत।
- 4-का0 60 संदीप कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 06/11/2024

थाना बिनौली पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता-

सचिन पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम रंछाड थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री विकुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत

2-है०का० 664 शेर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत

